

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 103/2022 वाद
GCMS No. - 2022/257

1. श्री मोहन पुत्र भागचंद जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादी

बनाम

1. श्रीमति ख्यालीबाई पत्नी नारायण जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गंगाराम पुत्र भागचंद जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
3. दाखीबाई पुत्री गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
4. नन्दुबाई पुत्री गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
5. नानुराम पुत्र शोराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
6. बदामीबाई पत्नी बालुराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
7. मुकेश कुमार पुत्र बालुराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
8. मगनीबाई पत्नी शोराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
9. मदनलाल पुत्र नारायण जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
10. रतनलाल पुत्र गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
11. रामलाल पुत्र गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
12. लीलाबाई पुत्री बालुराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
13. वेणीराम पुत्र नारायण जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
14. वरदीचंद पुत्र भागचंद जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
15. वरदीबाई पुत्री शोराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
16. सोहनीबाई पुत्री गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
17. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
18. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता वादी
2- श्री योगेन्द्र सोलंकी - अधिवक्ता प्रतिवादी 1,5,6,7,8,9,13,15

:: निर्णय ::

दिनांक :- 07.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा मुरलिया पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 13 के आराजी नंबर 309 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबवेल, आराजी नंबर 310 रकबा 2.5200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 20.06.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-


1. श्री मोहन पिता भागचंद डांगी सा. मुरलिया खातेदार रहन बदस्तुर BRGB मांगरोल

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
310/1	0.21	तालाबी 3	1.58

कुल किता-1 0.21 1.58



2 श्री ख्यालीबाई पत्नी नारायण 1/11, गंगाराम पिता भागचंद 1/11, दाखीबाई पुत्री गोकल 3/55, नन्दुबाई पुत्री गोकल 3/55, नानुराम पुत्र शोराम 3/22, बदामीबाई पत्नी बालुराम 1/44, मुकेश कुमार पुत्र बालुराम 1/44, मदनलाल पुत्र नारायण



सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

1/11, रतनलाल पुत्र गोकल 3/55, रामलाल पुत्र गोकल 3/55, लीलाबाई पुत्री बालुराम 1/44, वेणीराम पुत्र नारायण 1/11, वरदीचंद पुत्र भागचंद 1/11, वरदीबाई पुत्री शोराम 3/44, सोहनीबाई पुत्री गोकल 3/55 डांगी सा. मुरलिया खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
310/2	1.55	तालाबी 3	11.62
310/3	0.76	तालाबी 3	5.70
कुल किता-1			17.32

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1 श्री मोहन पिता भागचंद डांगी सा. मुरलिया खातेदार रहन बदस्तुर BRGB मांगरोल

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
310/1	0.21	तालाबी 3	1.58
कुल किता-1			1.58

2 श्री ख्यालीबाई पत्नी नारायण 1/11, गंगाराम पिता भागचंद 1/11, दाखीबाई पुत्री गोकल 3/55, नन्दुबाई पुत्री गोकल 3/55, नानुराम पुत्र शोराम 3/22, बदामीबाई पत्नी बालुराम 1/44, मुकेश कुमार पुत्र बालुराम 1/44, मदनलाल पुत्र नारायण 1/11, रतनलाल पुत्र गोकल 3/55, रामलाल पुत्र गोकल 3/55, लीलाबाई पुत्री बालुराम 1/44, वेणीराम पुत्र नारायण 1/11, वरदीचंद पुत्र भागचंद 1/11, वरदीबाई पुत्री शोराम 3/44, सोहनीबाई पुत्री गोकल 3/55 डांगी सा. मुरलिया खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
310/2	1.55	तालाबी 3	11.62
310/3	0.76	तालाबी 3	5.70
कुल किता-1			17.32



तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

प्रकरण संख्या 103/2022 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. श्री मोहन पुत्र भागचंद जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।

—वादी

बनाम

1. श्रीमति ख्यालीबाई पत्नी नारायण जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
2. गंगाराम पुत्र भागचंद जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
3. दाखीबाई पुत्री गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
4. नन्दुबाई पुत्री गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
5. नानुराम पुत्र शोराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
6. बदामीबाई पत्नी बालुराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
7. मुकेश कुमार पुत्र बालुराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
8. मगनीबाई पत्नी शोराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
9. मदनलाल पुत्र नारायण जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
10. रतनलाल पुत्र गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
11. रामलाल पुत्र गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
12. लीलाबाई पुत्री बालुराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
13. वेणीराम पुत्र नारायण जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
14. वरदीचंद पुत्र भागचंद जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
15. वरदीबाई पुत्री शोराम जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
16. सोहनीबाई पुत्री गोकल जी डांगी निवासी मुरलिया तहसील निम्बाहेडा।
17. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा।
18. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपरिस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता वादी
2- श्री योगेन्द्र सोलंकी - अधिवक्ता प्रतिवादी 1,5,6,7,8,9,13,15

:: निर्णय ::

दिनांक :-07.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बहाजिरी श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी, योगेन्द्र सोलंकी प्रतिवादी 1,5,6,7,8,9,13,15 व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेडा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा मुरलिया पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा के खाता संख्या 13 के आराजी नंबर 309 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबवेल, आराजी नंबर 310 रकबा 2.5200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 20.06.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेडा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री मोहन पिता भागचंद डांगी सा. मुरलिया खातेदार रहन बदस्तुर BRGB मांगरोल

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
310/1	0.21	तालाबी 3	1.58

कुल किता-1 0.21 1.58


सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

2 श्री ख्यालीबाई पत्नी नारायण 1/11, गंगाराम पिता भागचंद 1/11, दाखीबाई पुत्री गोकल 3/55, नन्दुबाई पुत्री गोकल 3/55, नानुराम पुत्र शोराम 3/22, बदामीबाई पत्नी बालुराम 1/44, मुकेश कुमार पुत्र बालुराम 1/44, मदनलाल पुत्र नारायण 1/11, रतनलाल पुत्र गोकल 3/55, रामलाल पुत्र गोकल 3/55, लीलाबाई पुत्री बालुराम 1/44, वेणीराम पुत्र नारायण 1/11, वरदीचंद पुत्र भागचंद 1/11, वरदीबाई पुत्री शोराम 3/44, सोहनीबाई पुत्री गोकल 3/55 डांगी सा. मुरलिया खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म	लगान
310/2	1.55	तालाबी 3	11.62
310/3	0.76	तालाबी 3	5.70
कुल किता-1			17.32

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.01.2025 को जारी की गई।
 मुहर


 दस्तखत
 ओहदा
 सहायक कलेक्टर
 निम्बाहेड़ा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..		बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

